SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Parliament and State Legislature (PART- 1)

Lecture :- 8

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR Scan

अनुच्छेद 79: संसद का गठन

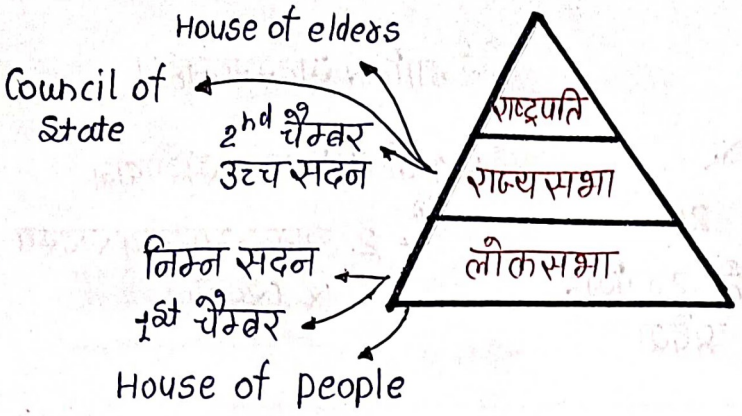

राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग है जिसकी सहमति के बिना कोई भी बिल, एक्ट नही बन सकता।

1954 मे हिन्दी नाम - लोकसभा
राज्यसभा

लोकसभा पहली बैठक - 17 अप्रैल 1952
राज्यसभा " " - 13 मई 1952

अनुच्छेद 80: राज्यो की परिषद की संरचना।

अधिकतम सदस्य - 250

- 238 चयनित
  - सभी 28 राज्य (229)
  - 2 केन्द्रशासित प्रदेश (9) (दिल्ली, पुदुचेरी)
- 12 मनोनीत ← राष्ट्रपति
  - (Li S A : S)
  - Li → Literature साहित्य
  - S → Science विज्ञान
  - A → Art कला
  - S → Social Service समाज सेवा

{ अन्य UTs मे जनसंख्या राज्यसभा मे प्रतिनिधित्व पाने के लिए बहुत कम है। }

प्रतिनिधित्व :

→ अप्रत्यक्ष चुनाव
→ आनुपातिक प्रतिनिधित्व
→ एकल संक्रमणीय मत

PARMAR SSC

वर्तमान = 245

अनुच्छेद 81: लोकसभा की संरचना

अधिकतम - 550

530 राज्य

20 केन्द्रशासित प्रदेश

कोई नामित सदस्य नही।

104 वां संविधान संशोधन
↳ 2 आंग्ल-भारतीय सदस्य × (खत्म)

→ वर्तमान = 543

→ प्रत्यक्ष चुनाव

अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

↓

परिसीमन आयोग (पहला - 1952)

42 वां संविधान संशोधन - 2002

84th " " - 2026 तक इनकी संख्या मे कोई परिवर्तन नही।

अनुच्छेद 83: संसद के सदनो की अवधि

राज्यसभा - कोई अवधि नही।
↳ सदस्यो - 6 वर्ष का

1/3 सदस्य हर 2 साल मे सेवानिवृत्त (Retire)

LS/RS मे चुनाव की कोई सीमा नही है।

लोकसभा
- सदन - 5 साल (जब तक भंग न किया जाये)
- सदस्य - 5 साल

↳ अवधि को बढाया भी जा सकता है। (आपातकाल मे)
(1 साल के लिए एक समय मे)

PARMAR SSC

अनुच्छेद 84: संसद की सदस्यता के लिए योग्यता।

→ भारत का नागरिक हो।
शपथ - 3री अनुसूची

→ उम्र { LS - 25 वर्ष
RS - 30 वर्ष

अनुच्छेद 85: संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।

3 सत्र

बजट सत्र — मानसून सत्र — शीतकालीन सत्र

◉ सत्र बुलाना / सत्रावसान की घोषणा - राष्ट्रपति

◉ स्थगन → सदन का पीठासीन अधिकारी
(Adjournment) (बैठक का समापन)

Prorogation → सदन का समापन Dissolution - लोकसभा का समापन

11 am - 12 pm : प्रश्नकाल (पहला घण्टा)

दिन का एजेंडा तय है ← शून्य काल (12pm - 1pm)

अनुच्छेद 86: सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।

अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति का विशेष संबोधन।
"motion of thanks"

{ प्रत्येक नई लोकसभा गठित होने पर।
प्रत्येक नववर्ष पर पहला सत्र।

अनुच्छेद 88: सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
किसी भी सदन में बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते।

PARMAR SSC

महान्यायवादी - किसी भी सदन का सदस्य नहीं।

अनुच्छेद 89: राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

89(1): उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है।

(2): उपसभापति - सदन द्वारा चयनित (राज्यसभा का सदस्य)

उपराष्ट्रपति - किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

अनुच्छेद 90: उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

↳ अगर वह राज्यसभा का सदस्य न हो।

त्यागपत्र - उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा।

Removal (हटाना) - उपस्थित सदस्यों के बहुमत से। (राज्यसभा से)

अनुच्छेद 91: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति।

यदि दोनों अनुपस्थित हो तो 10 लोगों की एक समिति में से कोई एक व्यक्ति कार्य करता है।

अगर दोनों की सीट खाली तब कोई सदस्य नहीं।

↳ राष्ट्रपति → किसी एक को अध्यक्ष बना देगा।

अनुच्छेद 92: सभापति या उपसभापति को उस समय अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

Voting
- at first instance - 60 / 40
- Casting vote - 50 / 50

PARMAR SSC

अनुच्छेद 93 : लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

लोकसभा के सदस्य अपने बीच से 1 अध्यक्ष एवं 1 उपाध्यक्ष का चुनाव करते है।

अनुच्छेद 94 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

त्यागपत्र : अध्यक्ष ⇌ उपाध्यक्ष

हटाना - प्रभावी बहुमत से।

लोकसभा के भंग होने के बावजूद भी लोकसभा का अध्यक्ष अगली लोकसभा तक अपना पद का त्याग नही करेगा।

अनुच्छेद 95 : उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यो का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।

अध्यक्ष – उपाध्यक्ष
- अनुपस्थित - उपाध्यक्ष का पैनल
- सीट खाली - राष्ट्रपति

अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ नही लेते है।

अनुच्छेद 96 : अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नही करनी चाहिए जब उन्हे पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

अनुच्छेद 97 : सभापति। उपसभापति एवं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

अनुच्छेद 98 : संसद सचिवालय

अनुच्छेद 99 : सदस्यो द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

राष्ट्रपति → प्रोटेम स्पीकर → शपथ दिलाता

PARMAR SSC

अनुच्छेद 100: सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति।

100(3): गणपूर्ति

↳ सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित रहने से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है।

100(4): अगर गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित Susbend कर देगा।

PARMAR SSC